

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1979/कार्तिक 26, 1901
No. 477] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1979/KARTIKA 26, 1901

इस भाग में छिद्रपृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1979

का. आ. 737(अ) .—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एनद्द्वारा 18 नवम्बर, 1979 को उम तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध गुजरात राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला व ताल्लुक बड़ौदा के गुजरात औद्योगिक विकास निगम,
नन्देसरी के अधिसूचित क्षेत्र और राजस्व ग्राम नन्देसरी के अन्तर्गत
आने वाले क्षेत्र ।”

[संख्या एस.-38013/3/78-एच. आई.]

हंसराज छाबड़ा, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1979

S.O. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 18th November, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Gujarat namely :—

“The areas comprised within the revenue village of Nandesari and the notified area of Gujarat Industrial Development Corporation, Nandesari in Baroda Taluka, District Baroda.”

[No. S-38013/3/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Deputy Secy.